राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.8(क)(या)(246)डीएलबी/21/9329 जयपुर,दिनांकः 22/10/21

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नगरपालिका क्षेत्र में डेयरी बूथ स्थापित करने, किराया/लीज राशि में वृद्धि, डेयरी बूथों की बेदखली के संबंध में लाईसेन्स जारी करने के प्रयोजनार्थ पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 6916 दिनांक 20.09.2021 तथा अन्य समस्त अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित करती हैः–

1. परिभाषाः– जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नीति में :–

(क) ''आवंटन समिति'' से अभिप्राय इस अधिसूचना के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार गठित आवंटन समिति से है।

(ख) "आर.सी.डी.एफ." से अभिप्राय ऐसी शीर्ष सोसायटी से है, जो राज्य में समस्त जिला दुग्ध संघों पर परिसंधीय निकाय है ओर सहकारी क्षेत्र में सम्बद्व दुग्ध संघो के दुग्ध संकलन, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य क्षेत्रों में दुग्ध संघो को मार्गदर्शन सहायता एवं प्रोत्साहित करती है।

(ग) "दुग्ध संघ" का अभिप्राय सहकारी क्षेत्र में पंजीकृत दुग्ध संघ से है, जो दुध एवं दुध पदार्थों को क्रय एवं विक्रय का व्यापार करते हो।

(घ) "उपनियम" से अभिप्राय आर.सी.डी.एफ एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 एवं नियम 2003 के अन्तर्गत पंजीकृत उपनियम है।

(ङ) "प्रबन्ध संचालक, आर.सी.डी.एफ.'' से अभिप्रेत ऐसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है जो आरसीडीएफ के उप नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो।

(च) "प्रबन्ध संचालक, दुग्ध संघ" से अभिप्राय ऐसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी से है जो दुग्ध संघ के उपनियमों के अनुसार आर.सी.डी.एफ. द्वारा नियुक्त किया गया हो एवं दुग्ध संघ के समस्त कारोबार एवं संचालन के लिए जिम्मेदार हो।

(छ) "स्थानीय निकाय" स्थानीय निकाय का तात्पर्य नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका से होगा।

(ज) "राज्य सरकार" जो राजस्थान राज्य सरकार है।

(झ) "अधिकारी" आर.सी.डी.एफ. एवं सम्बद्व दुग्ध संघों में प्रबन्ध संचालक के अधीनस्थ कार्यरत अधिकारी है।

(ञ) "डेयरी बूथ" अधिकृत स्थान पर स्थापित कियोस्क जहां से दुग्ध संघ से उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय हो।

(ट) "डेयरी बूथ एजेन्ट" दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों का विक्रय करने हेतु अधिकृत व्यक्ति।

(ठ) "अमानत राशि" जो राशि दुग्ध संघ डेयरी बूथ एजेन्ट से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों के विक्रय मूल्य की राशि के एवज में प्राप्त की जाती है।

(ड) "लाईसेन्सर" निगम/नगर परिषद/नगरपालिका जो डेयरी बूथ के लिये स्थान आवंटित करेगी।

(ढ) "लाईसेन्स फीस" जो राशि निगम निगम/नगर परिषद/नगरपालिका द्वारा डेयरी बूथ एजेन्ट को आवंटित स्थान के एवज में प्राप्त राशि।

(ण) "शपथ पत्र" जो पत्र डेयरी बूथ एजेन्ट द्वारा दुग्ध संघ को बूथ आवंटन के समय प्रस्तुत किया जाता है।

(त) "अन्य क्षेत्र" जो शहरी क्षेत्रों के अलावा बूथ आवंटन का अधिकार सम्बन्धित दुध संघ के आधीन रहेगा।

2. बूथ आवंटन का स्थान व आवंटन प्रक्रियाः–

(i). **डेयरी बूथ आवंटन हेतु आवेदको के आवेदन पत्र संबंधित नगरपालिका/परिषद/निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास जमा किये जायेंगे एवं आज तक नगर निगम/परिषद/पालिका या डेयरी को प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को नगर निगम /परिषद/पालिका में प्रस्तुत करना होगा ताकि आवंटन समिति उन पर विचार कर बूथ आवंटन कर सकेगी।**

(ii). संबंधित जिला दुग्ध संघ द्वारा वर्तमान में संचालित डेयरी बूथों की लोकेशन/साईट का जी.पी.एस. माध्यम से मैपींग करवाई जाकर सूची संबंधित निकायों को प्रेषित की जावेगी।

(iii). वर्तमान में संचालित डेयरी बूथों के अलावा नये डेयरी बूथों के स्थान आवंटन समिति द्वारा चिन्हित किये जायेगें।

(iv). स्थानीय निकाय व संबंधित दुग्ध संघ 200 मीटर रेडियस/1000 की जनसंख्या की आबादी/250 परिवार का मापदण्ड अपनाकर नये डेयरी बूथ आवंटन हेतु संख्या का आंकलन करेगें, किन्तु आवंटन समिति द्वारा उक्त मापदण्डों में आवेदकों की मांग एवं

आवश्यकता के दृष्टिगत शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। डेयरी बूथ का आवंटन समय–समय पर पारित न्यायिक आदेशों यदि कोई हो, को दृष्टिगत रखते हुऐ किया जावेगा।

(v). डेयरी बूथ आवंटन समिति द्वारा उक्त खण्ड (ii) के अनुसार प्राप्त सूची का विश्लेषण/अध्ययन एवं वर्तमान आवश्यकता का आकलन कर नवीन डेयरी बूथ आवंटन हेतु उपलब्ध/चिन्हित नवीन स्थानों की अन्तिम सूची जारी की जावेंगी अर्थात नवीन डेयरी बूथो के स्थान का चिन्हिकरण कर इसकी अन्तिम सूची भी आवंटन समिति द्वारा तय की जावेंगी।

(vi). किसी भी आवेदक (परिवार) द्वारा एक शहर में एक से अधिक आवेदन मान्य नहीं होगे व ऐसे आवेदन को निरस्त माना जावेगा।

(vii). नवीन डेयरी बूथों के चिन्हिकरण के उपरान्त शहरी निकाय के द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये स्थानीय प्रमुख समाचार पत्र में सार्वजनिक आम सूचना जारी कर नवीन बूथ स्थलों की सूची के साथ विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुये निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र–1) में आवेदन–पत्र मांगे जायेगें।

(viii). आवेदन पत्र में नवीन चिन्हित बूथ स्थलों में से कोई तीन स्थल प्राथमिकता क्रम में आवेदक द्वारा बताये जायेगे।

(ix). शहरी क्षेत्र में आवेदन देने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्र की संवीक्षा कर सही पाये गये आवेदन पत्रों की सूची तैयार कर नगरपालिका संस्था के नोटिस बोर्ड पर सात दिवस तक प्रदर्शित की जायेगी।

(x). उक्त खण्ड (ix) में तैयार की गयी सूची में से लाटरी के माध्यम से नवीन डेयरी बूथो की संख्या के चार गुणा आवेदको का चयन किया जायेगा।

(xi). लॉटरी में सफल आवेदकों का साक्षात्कार आवंटत समिति द्वारा लिया जाकर चयन किया जायेगा। चयनित सफल आवेदक को यथा सम्भव उनके द्वारा आवेदन–पत्र में इच्छित बूथ स्थल आवंटित किया जायेगा। यदि इच्छित बूथ–स्थल के लिये अधिक आवेदक है, तो आवेदक को यथासंभव उसके निवास के आस–पास का बूथ स्थल आवंटित किया जायेगा।

(xii). आवंटन समिति द्वारा नगरीय निकाय को सफल आवेदकों की प्रेषित अंतिम सूची में अंकित आवेदक को लीजराशि/किराया राशि जमा कराकर बूथ संचालन हेतु आवश्यक लाईसेन्स नगरीय निकाय द्वारा अधिकतम सात दिवस में जारी किया जावेगा।

(xiii). निकाय द्वारा डेयरी बूथ आवंटन करने पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित शर्तो पर दुध/दुग्ध पदार्थ/क्रेट के पेटे सुरक्षा राशि प्राप्त कर दुध सप्लाई शुरू की जावेगी।

(xiv). डेयरी बूथ का आवंटन बीस वर्ष की अवधि के लिये होगा, जिसका एक मुश्त किराया नीचे वर्णित पैरा संख्या 8 के अनुसार होगा।

(xv). संबंधित आवंटी को 1000/– रूपयें की दो वर्ष के लिये सुरक्षा राशि के रूप में संबंधित निकाय में नकद जमा करानी होगी।

(xvi). डेयरी बूथ का आवंटन पूर्णतः अस्थाई होगा। आवंटित बूथ को भविष्य में निकाय द्वारा आवंटन समिति के निर्णय अनुसार गुणावगुण के आधार पर हटाया अथवा स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

3. आवंटन समिति का गठन निम्न प्रकार से रहेगा:–

(i)	**संबंधित नगर निगम/नगर परिषद /नगरपालिका का आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी**	**– अध्यक्ष**
(ii)	**जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत अधिकारी**	**– सदस्य**
(iii)	**संबंधित दुग्ध संघ का प्रबंधक संचालक**	**– सदस्य**
(iv)	**यातायात पुलिस का प्रतिनिधि**	**– सदस्य**
(v)	**संबंधित विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास द्वारा मनोनीत अधिकारी**	**– सदस्य**
(vi)	**राजस्थान आवासन मण्डल क्षेत्र में मण्डल का प्रतिनिधि**	**– सदस्य**
(vii)	**रीको क्षेत्र में रीको का प्रतिनिधि**	**– सदस्य**
(viii)	**स्वायत्त शासन विभाग द्वारा मनोनीत दो सदस्य**	**– सदस्य**

नोटः– उक्त समिति में अध्यक्ष के अलावा कम से कम चार सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है।

4. डेयरी बूथ के आवंटन की प्राथमिकता निम्नानुसार होगी:–

(i). बेरोजगार

(ii). भूतपूर्व सैनिक

उक्त प्राथमिकता में निम्नानुसार आरक्षण दिया जायेगा:–

(i). महिलाओं के लिए आरक्षण 30 प्रतिशत।

(ii). अनुसूची जाति के लिए शहर की जनसंख्या के अनुपात में

(iii). अनुसूचित जनजाति के लिए शहर की जनसंख्या के अनुपात में

(iv). विशेषयोग्यजन के लिए 5 प्रतिशत

5. डेयरी बूथों पर बिक्री किये जा सकने वाली वस्तुओं का निर्धारणः–
सरस दुध व दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त पदार्थों का विक्रय नहीं किया जावेगा। यदि स्थानीय निकाय द्वारा ब्रेड, बिस्किट, खाद्य पदार्थ बेचने की अनुमति दी जाती है तो इनका उल्लेख आवंटन पत्र में भी किया जायेगा।

6. बूथ एजेन्टो के लिए दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के विकय से संबंधित दुग्ध संघ के नियम व शर्तेः–

(1). डेयरी बूथ ऐजेन्ट को ग्राहकों/वितरकों एवं संघ प्रतिनिधियों से शालीन व्यवहार करना होगा।

(2). डेयरी बूथ ऐजेन्ट को संघ द्वारा निर्धारित समयानुसार बूथ/एजेन्सी पर /दुग्ध उत्पाद की बिक्री सुनिश्चित करनी होगी।

(3). डयेरी जिसके नाम से आवंटन की जाएगी उसका संचालन उसे स्वयं को ही करना होगा, डयेरी बूथ सबलेट करने पर डेयरी बूथ लाईसेन्स निरस्त किया जावेगा। डेयरी बूथ ऐजेन्ट का स्वयं का परिचय–पत्र/ऐड्रेस प्रूफ देना होगा।

(4). डेयरी बूथ ऐजेन्ट के आवेदन के साथ दिये गये दस्तावेज/सूचना गलत पाये जाने पर डेयरी बूथ आवंटन निरस्त करते हुए सुरक्षा राशि जप्त की जा सकती है।

(5). स्वीकृति मिलने के तीन माह में यदि बूथ शुरू नहीं किया जाता है तो स्थानीय निकाय द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

(6). प्रतिबन्धित पदार्थ तथा बीडी, सिगरेट, गुटखा एवं जर्दा इत्यादि की बूथ पर भण्डारण/प्रदर्शन एवं बिकी किये जाने पर बूथ आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

(7). स्थानीय निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अनुसार बूध एजेन्ट को समयानुसार ही निर्धारित किराया राशि जमा करवानी होगी।

(8). डेयरी बूथ ऐजेन्ट द्वारा आवंटित बूथ स्थान के अलावा किसी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा नहीं किया जावेगा।

(9). साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी व बूथ पर एक डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा।

7. दुग्ध संघ का दायित्व डेयरी बूथ पर समय–समय पर पेन्ट, ग्लोसाईन बोर्ड इत्यादि का कार्य सम्बन्धित दुग्ध संघों द्वारा कराया जावेगा।

8. वर्तमान संचालित डेयरी बूथ पूर्व से निर्धारित किराये की अदायगी व शर्तो की पालना पर पूर्व निर्धारित अवधि तक यथावत रहेगी। नवीन डेयरी बूथ का किराया/लीज मनी–किराया/लीजमनी निम्नानुसार डेयरी बूथ एजेन्ट द्वारा जमा कराना होगाः–

	स्थानीय निकाय की श्रेणी	एक मुश्त किराया/लीजराशि
1.	नगर निगम	15000/-
2.	नगर परिषद	12000/-
3.	नगरपालिका मण्डल	8000/-

9. किराया/लीज मनी का संग्रहण:-

(क) संबंधित निकाय द्वारा डेयरी बूथ का किराया/लीज राशि संग्रहण किया जावेगा।

(ख) किराया/लीज राशि का भुगतान नहीं करने पर आवंटन समिति द्वारा बूथ आवंटन निरस्त किया जावेगा।

10. बूथ का हस्तान्तरण:- साधारणतया बूथ अहस्तान्तरणीय है लेकिन डेयरी बूथ आवंटी की मृत्यु होने पर ही कानूनी रूप से वारिस के नाम बूथ के स्वामित्व का हस्तान्तरण स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेगा।

11. बूथ का निरस्तीकरण:- डेयरी बूथ ऐजेन्ट द्वारा निर्धारित नियम/शर्तो की अनुपालना नहीं करने पर बूथ का आवंटन संबंधित दुग्ध संघ की अनुशंषा पर स्थानीय निकाय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

12. बूथ आवंटन संबंधित निर्णयों पर पुनर्विचार:- भविष्य में यदि अपरिहार्य कारणों से लोकहित में बूथ हटाना/स्थानांतरण करना अपेक्षित हो तो यथेष्ठ कार्यवाही स्थानीय निकाय के स्तर पर की जायेगी। ऐसी स्थिति में बूथ एजेन्ट का पुनर्वास स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जावेगा।

13. अनुपालना:- स्थानीय निकायों द्वारा पूर्व की भांति ही दुग्ध बूथों का आवंटन केवल आरसीडीएफ से संबंध दुग्ध संघ द्वारा उत्पादित पदार्थो के विपणन के उद्देश्य से ही किया जावेगा, ताकि सहकारिता आदोलन से जुडे पशुपालकों को उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध का उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के पदार्थ उपलब्ध करवाए जा सकें।

14. आवंटन से संबंधित विवाद होने की दशा में विवाद का निस्तारण आवंटन समिति द्वारा ही किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक प.8(क)(या)(246)डीएलबी/21/9338-9347 जयपुर,दिनांकः 22/10/21

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकस एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त समस्त राजस्थान।
8. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
9. प्रबंध संचालक, राजस्थान कॉ--ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि. जयपुर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
11. आयुक्त/उपायुत/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
12. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. समस्त अधिकारी निदेशालय।
15. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
16. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
17. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
18. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी